महत्वपूर्ण/आज ही

संख्या– 805/आठ–5–23–1551/2022

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।
5. **निदेशक,**
नगर भूमि एवं सीमारोपण विभाग,
उ0प्र0।
6. **निदेशक,**
आवास बन्धु,
लखनऊ।
7. **सचिव,**
उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), लखनऊ।
8. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 10 मई, 2023**

विषयः– **समूह–ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशा0 पत्र संख्या–120/47/का–2/2023, दिनांक 18.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समूह–ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की शासन स्तर की अद्यतन सूचना निम्नवत् प्रारूप पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी हैः–

क्र0सं0	विभाग का नाम	विभाग में समूह–ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या (लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की परिधि के बाहर)	विभाग द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/अधियाचित पदों की संख्या	समूह–'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण		
				पदनाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रारूप पर वॉछित सूचना **आज ही** आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 को ई–मेल आई.डी. awasanubhag5@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण है, अतएव समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या : 805(1)/आठ–5–2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग– 2, 3, 4, 6, 7 एवं 10 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नियत्रंणाधीन अभिकरण/कार्यालय को स्वस्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

IP Singh-Go-2023

संख्या-808/आ0-8-2023

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
विशेष सचिव।

अर्द्ध शा0पत्र सं0- 120/47/का-2/2023
उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग- 2

लखनऊ :: दिनांक : 18 अप्रैल, 2023

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया कोविड-19 के कारण मृत सरकारी कार्मिकों के आश्रितों को उनके देयकों के भुगतान एवं उनके आश्रितों को अतिशीघ्र सेवायोजित किये जाने की राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक आश्रितों के समायोजन में आ रही कठिनाईयों के निवारण के सम्बन्ध में नीति बनाई गई है, जो निम्नवत है:-

(i) ऐसे विभाग जिनके यहां मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने हेतु सीधी भर्ती के समूह- 'ग' के पदों में पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं हैं तथा 10 प्रतिशत से अधिक अधिसंख्य पद सृजित करने की आवश्यकता पड़ रही है, वे औचित्य सहित अपना प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायेंगे जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि कितनी संख्या के मृतक आश्रितों के पदों को अन्य विभाग में समायोजित करने की आवश्यकता है और उनकी नियमावली, न्यूनतम अर्हता का विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।

(ii) कार्मिक विभाग समस्त प्रशासकीय विभागों से समन्वय स्थापित करके सम्बिन्धत विभागों के समूह- 'ग' के रिक्त पद तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अधियाचित पदों की सूचना एकत्रित करके अद्यावधिक रखेगा।

(iii) याचक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण करने के पश्चात ऐसे विभाग चिहिनत किये जायेंगे, जहां मृतक आश्रितों को समूह- 'ग' के पद के स्तर पर समायोजन सम्भव हो सकता है।

(iv) कार्मिक विभाग के परीक्षण के उपरान्त इसे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जायेगा, जिसमें अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/, कार्मिक सदस्य सचिव तथा संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा किस मृतक आश्रित की किस विभाग में किस पद पर नियुक्ति होनी है, की संस्तुति की जायेगी तथा उक्त संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त विभागों से **समूह- 'ग'** के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अद्यतन सूचना एकत्र किये जाने की अपरिहार्यता है।

अतः इस संबंध में मुझसे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि कृपया **निम्नवत प्रारूप पर शासन स्तर की सूचना 03 दिन में** कार्मिक अनुभाग-2 को हार्ड कापी सहित **ई-मेल आई.डी. karmiksection102@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	विभाग में समूह- ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या (लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की परिधि के बाहर)	विभाग द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/अधियाचित पदों की संख्या	समूह-'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण		
				पदनाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या

भवदीय
(राजेन्द्र सिंह मौर्य)

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(चिकित्सा/राजस्व/अवस्थापना एवं औद्योगिक/ कृषि विभाग/राज्य सम्पत्ति/ आयुष विभाग को छोड़कर)

(विनोद शर्मा) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।

(राकेश कुमार मिश्र) विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।